

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग-4

सं 222/शिक्षा-4/2001

जयपुर दि 1/8/2001

मुख्य सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर ।

विषय- मोटेडा बूचरोड में बाबा गैतानाथ महिला महाविद्यालय के नाम से स्नातक स्तर पर कला संकाय में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सन् 2001-2002 के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

संदर्भ-

पत्र सं 54, नै.वि.नि.शिक्षा/2001- 282
दि 25/7/2001


उपरोक्त विधायनान्तर्गत निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गयी अनुशांथा के बाधर पर मोटेडा बूचरोड में बाबा गैतानाथ महिला महाविद्यालय के नाम से नया महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों के तर्जिमत हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, लोक प्रशासन, एवं तर्जिमत, गृहविज्ञान कुल सात ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सन् 2001-2002 के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

- 1- संस्था द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त किया जाना होगा तथा सम्बन्धन प्राप्त करने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश देना होगा ।
- 2- संस्था अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होते ही राँव 5-00 रु प्रति कुल छात्र स्वयं स्थायी जमा में 5 वर्ष के लिये जमाकराकर निदेशक कालेज शिक्षा को सुविधित करेगी
- 3- संस्था सभी विषयों में युजीओसी0 कईतायारी व्याख्याता नियुक्त करेगी ।
- 4- संस्था निर्धारित पन्डोमेंट राशि संशुधत ढाँते में जमा कराएगी ।
- 5- संस्था एक वर्ष में अपना भवन निर्माण करायेगी तथा महाविद्यालय हेतु सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी
- 6- संस्था को राज्य सरकार रचितमान तथा अधिकतम में कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

मुख्य सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं ...
कार्यवाही हेतु :-

- 1- विरिष्ठ सहायक माओ शिवांगवी उच्च शिक्षा
- 2- निजी सचिव, सहाय उच्च शिक्षा
- 3- निदेशक आरोग्य शिक्षा राज. जयपुर
- 4- उपसंचय उच्च शिक्षा
- 5- सचिव, दादा उतानाथ महिला शिक्षा पुस्तक समिति,
भोटेडा बहरोडा
- 6- रक्षी प्रवर्धनी



विशेषाधिकारी जयपुर



श्री ...
...
... (पहले) ...

...

...